make the working of the Constitution in certain problematic situations smoother and more transparent.

The Government proposes to continue the dialogue on this and other subjects which strengthen our democratic polity.

राज्यों में आई.एस.आई. का जाल

2384. **श्री जनार्दन यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान की आई.एस. आई. जाल किन-किन राज्यों में फैला हुआ हैं; और

(ख) आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक किए गए उपायों का ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद कबूल डार) :(क) यह ध्यान में आया हैं कि पाक आई.एस.आई. ; उग्रवादियों/आंतकवादियों को भारत में और भारत से घुसपैठ कराने के लिए जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, और गुजरात से लगी पाकिस्तानी सीमा का उपयोग कर रही हैं। उसके अलावा, आई.एस.आई. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह को सहायता भी देती रही हैं और भड़काती भी रही हैं।

(ख) सरकार, आसूचना तंत्र को सुग्राही और सक्रिय बनाकर, आसूचना के आदान-प्रदान तथा संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों की समन्वित कार्रवाई के द्वारा आई.एस.आई. के इरादों का मुकाबला करने तथा उन्हे असफल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही हैं। देश के सभी भागों में पाकिस्तान की आई.एस.आई. मोडयल्स व गातिविधयां, जब भी और जहां भी ये ध्यान में आएं, तो निष्क्रय करने हेतु पुलिस तथा आसूचना संगठनों को निर्देश दिए गए हैं।

Children sent to Saudi Arabia for Camel Riding Race

2385. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA:
DR. ALLADI P. RAJKUM-AR:
DR. MOHAN BABU:

(a) whether Government have seen reports that small children from Bangladesh and India are still being sent to Sari ah for camel race from Indira Gandhi International Airport as the transit point; and

(b) the details in this regard and the steps taken to completely stop this activity on the Indian soil?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) & (b) Delhi Police have reported that no such iacident tbok place at Indira Gandhi International Airport during the year 1997.

गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिक

2386. **श्री मूलचन्द मीणा**:
श्री अजीत जोगी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान देश के विभिन्न भागों में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार कितने विदेशी नागरिको की पहचान की गई तथा वे किन-किन देशों के नागरिक थे; और

(ग) उन्हे उनके देश वापस भेजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) चूंकि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, उनका पता लगाने और वापस भेजने की शक्तियां, राज्य सरकारों/संघ शसित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं इसलिए ऐसे आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार, पड़ोसी देशों से चोरी छिपे भारत में घुसकर देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों से संबंधित समस्या से अवगत हैं। ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की शिनाखत करने और उन्हे वापस भेजने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासात्मक गतिविधियां

2387. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री दिनांक 24 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 27 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यो के लिए चीनी सीम के आस-पास वाले क्षेत्रों का चयन न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या कल्लू-मनाली-केंलांग से लेह-लद्दाख का मार्ग सबसे छोटा हैं और इसलिए रक्षागत सभी आपूर्तिया इसी मार्ग से की जाती हैं तथा लैह-लद्दाख क्षेत्र पाकिस्तानी सीमा के साथ लगा हुआ हैं,

(ग) क्या सरकार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़को के निर्माणर्थ इस क्षेत्र को धन प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) उन्हे उनके देश वापस भेजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) चूंकि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, उनका पता लगाने और वापस भेजने की शक्तियां, राज्य सरकारों/संघ शसित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं इसलिए ऐसे आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार, पड़ोसी देशों से चोरी छिपे भारत में घुसकर देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों से संबंधित समस्या से अवगत हैं। ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की शिनाखत करने और उन्हे वापस भेजने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासात्मक गतिविधियां

2388. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री दिनांक 24 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 27 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ङ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यो के लिए चीनी सीम के आस-पास वाले क्षेत्रों का चयन न करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या कल्लू-मनाली-केंलांग से लेह-लद्दाख का मार्ग सबसे छोटा हैं और इसलिए रक्षागत सभी आपूर्तिया इसी मार्ग से की जाती हैं तथा लैह-लद्दाख क्षेत्र पाकिस्तानी सीमा के साथ लगा हुआ हैं,

(छ) क्या सरकार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़को के निर्माणर्थ इस क्षेत्र को धन प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(ज) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?